VISTAAR FINANCE Your Growth, Our Pride

विस्तार फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड,
पंजीकृत कार्यालयः-प्लॉट नंबर 59 और 60-23, 22वां क्रॉस, 29वां मेन, बीटीएम लेआउट स्टेज 2, बेंगलुरु-560076 www.vistaarfinance.com

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि 05-06-2013 (दस्तावेज़ संख्या 29) की मूल पट्टा विलेख खो गई है। यह विलेख चित्तौड़गढ़ पंजीकरण जिले में दीप चंद जायसवाल के पक्ष में निष्पादित किया गया था। चित्तौड़गढ़ में स्थित दीप चंद जायसवाल की अचल संपत्तियों से संबंधित यह दस्तावेज़, विस्तार फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (विस्तार) से ली गई सुविधा (लोन/सुविधा) के बदले सुरक्षा के तौर पर जमा किया गया था, जो अब विस्तार के पास से कहीं खो गया है।

यदि किसी व्यक्ति का उक्त दस्तावेज़ (दस्तावेज़ों) पर कोई दावा, अधिकार, हक या हित है, या यदि किसी व्यक्ति को उक्त दस्तावेज़ मिल गए हैं या उसे इनके बारे में कोई जानकारी है, तो उनसे अनुरोध है कि वे तुरंत ऊपर दिए गए पते पर विस्तार फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (विस्तार) को सूचित करें, ताकि इसकी जांच की जा सके और आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

यदि कोई व्यक्ति उक्त दस्तावेज़ (दस्तावेज़ों) को प्राप्त करता है या इनका उपयोग करता है, तो वह ऐसा अपने जोखिम और जिम्मेदारी पर करेगा। इस तरह के किसी भी लेन-देन से होने वाले नुकसान के लिए विस्तार किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। यदि इस सूचना की तारीख से 14 दिनों के भीतर विस्तार को कोई जानकारी नहीं मिलती है, तो 05-06-2013 (दस्तावेज़ संख्या 29) की मूल पट्टा विलेख (जो चित्तौड़गढ़ पंजीकरण जिले में दीप चंद जायसवाल के पक्ष में निष्पादित की गई थी) को स्थायी रूप से खोया हुआ मान लिया जाएगा। इसके बाद, चित्तौड़गढ़ के उप-पंजीयक से इस खोए हुए दस्तावेज़/गिफ्ट डीड की प्रमाणित प्रति जारी करने का अनुरोध किया जाएगा, जिसे भविष्य में सभी उद्देश्यों के लिए मूल दस्तावेज़ के समान ही माना जाएगा।

विस्तार फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

दिनांकः 27-10-2026 स्थानः चित्तौड़गढ़ — हस्ताक्षरित/- अधिकृत अधिकारी

ROHA HOUSING FINANCE GROW WITH YOUR OWN HOME

रोहा हाउसिंग फायनेंस प्रायवेट लिमिटेड

कॉर्पोरेट ऑफिस : युनिट नं. 1117 एवं 1118, 11वीं मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड टॉवर, सेक्टर 16, नोएडा, उत्तर प्रदेश - 201 301.

आधिपत्य सूचना (प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत)

रोहा हाउसिंग फायनेंस प्रायवेट लिमिटेड (“RHFPL” के रूप में संदर्भित) पंजीकृत कार्यालय : जजेटी हाउस, ए44/45, रोड़ नं.2, एमआईडीसी, अंधेरी इस्ट, मुम्बई - 400093 के निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) की धारा 13 (12) सपठित नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रवर्तन करके कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऋणी(यों)(नीचे वर्णित नाम एवं पता) से उक्त वर्णित अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत सूचना प्राप्ति दिनांक से 60 दिन के अंदर निम्न वर्णित ऋण राशि अदा करने की मांग की गई थी। चूंकि नीचे दर्शाए गए ऋणी(यों) ने अदायगी में त्रुटि की है अत: नीचे दर्शाए गए ऋणी(यों) तथा सर्वसाधारण जनता को एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्न अधोहस्ताक्षरकर्ता ने नीचे वर्णित सम्पत्तियों का **भौतिक आधिपत्य** प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 की धारा 13 की उपधारा (4) के सपठित उपरोक्त नियमों के नियम 8 के अंतर्गत प्राप्त कर लिया है। नीचे दर्शाए गए ऋणी(यों) को विशेषत: तथा समस्त जनता को साधारणत: सतर्क किया जाता है कि उक्त सम्पत्तियों के संबंध में कोई संव्यवहार न करें और यदि कोई संव्यवहार किया गया तो वह रोहा हाउसिंग फायनेंस प्रायवेट लिमिटेड के ऋणी(यों) के समक्ष वर्णित राशि एवं ब्याज के चार्ज (प्रभार) के अधीन होगा। धरोहर संपत्ति के एवज में संपत्ति को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय सीमा पर कानून की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों पर ऋणकर्ताएं ध्यान देवे।

स. क्र.	ऋणीयों / सह-ऋणीयों के नाम/ ऋण खाता सं./शाखा	संपत्ति का विवरण	मांग पत्र की दिनांक एवं बकाया राशि	आधिपत्य की दिनांक
1	**लोन:** HLASINSCON000005016216 **शाखा:** आसिंद **1. दिनेश जीनगर** (ऋणी) **2. शोभा देवी पति दिनेश जीनगर** (सह-ऋणी) **दोनों का पता:** ताल, राजसमंद, राजस्थान - 313331, **दोनों का अन्य पता:** पट्टा सं. 14, संपत्ति ग्राम पंचायत-ताल, पंचायत समिति देवगढ़, राजसमंद, राजस्थान - 313331	**संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण संपत्ति का पता:** पट्टा सं. 14, संपत्ति ग्राम पंचायत - ताल, पंचायत समिति देवगढ़, राजसमंद, राजस्थान - 313331	**15-12-2025 & ₹ 4,71,081/-**	**21-10-2026**

स्थान : राजस्थान
दिनांक : 27.10.2026

प्राधिकृत अधिकारी
तर्फे - रोहा हाउसिंग फायनेंस प्रायवेट लिमिटेड

REFORM ASSET RECONSTRUCTION

रिफार्म एसेट पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड (पूर्व में रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के नाम से ज्ञात)

दूसरी मंजिल, आईसीसी चैंबर्स-II, साकी विहार रोड, एमटीएनएल कार्यालय के पास, पवई मुंबई - 400072, फ़ोन: +91 2268959000

कब्जा नोटिस - परिशिष्ट IV (अचल संपत्तियों के लिए) [सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स, 2002 के नियम 8(1) को देखें]

चूँकि, अधोहस्ताक्षरी, रिफॉर्म एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (पूर्व नाम रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड) का विधिवत प्राधिकृत अधिकारी है। यह कंपनी कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित है तथा प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों का पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (जिसे आगे “सरफेसी अधिनियम, 2002” कहा जाएगा) की धारा 3 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के साथ आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी के रूप में पंजीकृत है। इसका पंजीकृत कार्यालय द्वितीय तल, आईसीसी चैंबर्स-II, साकी विहार रोड, एमटीएनएल कार्यालय के निकट, पवई, मुंबई, महाराष्ट्र-400072 में स्थित है। उक्त कंपनी (जिसे आगे “आरएआरसी” कहा जाएगा), आरएआरसी 087 न्यास के न्यासी के रूप में कार्य करते हुए तथा सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(12) को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित करते हुए, ऋण खाता संख्या **PL4281** के संबंध में दिनांक 17 अक्टूबर, 2024 को मांग सूचना जारी कर चुकी है। उक्त सूचना के माध्यम से ऋणियों एवं सह-ऋणियों, अर्थात् श्रीमती बिमला देवी रैगर, पत्नी श्री बंशीधर रैगर; श्रीमती बंशी देवी रैगर, पुत्री श्री नारायण लाल रैगर; तथा श्री राजकुमार, पुत्र श्री बंशीधर रैगर, को सूचना में उल्लिखित ₹23,32,551/- (शब्दों में रुपये तेईस लाख बत्तीस हजार पाँच सौ इक्यावन मात्र) की राशि, दिनांक 26 जुलाई, 2024 से देय ब्याज सहित, उक्त मांग सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 (साठ) दिनों के भीतर चुकाने हेतु कहा गया था।

और चूँकि, उधारकर्ता की वित्तीय आस्तियों/ऋणों का अधिग्रहण रिफॉर्म एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (पूर्व नाम रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड) द्वारा आरएआरसी 087 न्यास के न्यासी के रूप में, लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व नाम लक्ष्मी इंडिया फिनलीजकैप प्राइवेट लिमिटेड) से दिनांक 30 मार्च, 2024 को निष्पादित समनुदेशन विलेख के माध्यम से किया गया है। उक्त ऋणों/वित्तीय आस्तियों के समनुदेशन तथा समनुदेशन विलेख की शर्तों के अनुसार, रिफॉर्म एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (पूर्व नाम रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड) ने लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व नाम लक्ष्मी इंडिया फिनलीजकैप प्राइवेट लिमिटेड), जो समनुदेशक/मूल सुरक्षित ऋणदाता है, के ऋणों से संबंधित समस्त अधिकार, स्वत्व एवं प्रतिभूति हित तथा उनसे संबद्ध अंतर्निहित प्रतिभूतियों और प्रतिभूति संबंधी दस्तावेज़ों पर अधिकार प्राप्त कर लिए हैं।

और चूँकि, उधारकर्ता द्वारा बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहने के कारण, एतद्द्वारा ऋणियों तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त प्रावधानों के अनुसार, नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा दिनांक 23 अक्टूबर, 2026 को अपने कब्जे में ले लिया है।

एतद्द्वारा ऋणियों तथा सर्वसाधारण को विशेष रूप से सावधान किया जाता है कि वे उक्त संपत्ति के संबंध में किसी भी प्रकार का व्यवहार, अंतरण, विक्रय, क्रय अथवा अन्य कोई लेन-देन न करें। उक्त संपत्ति के संबंध में किया जाने वाला कोई भी व्यवहार रिफॉर्म एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (पूर्व नाम रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड) के पक्ष में ₹23,32,551/- (रुपये तेईस लाख बत्तीस हजार पाँच सौ इक्यावन मात्र) की बकाया राशि तथा उसकी पूर्ण वसूली होने तक उस पर देय ब्याज एवं अन्य प्रभारों के संबंध में विद्यमान प्रभार एवं प्रतिभूति हित के अधीन होगा।

ऋणियों का ध्यान सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो प्रतिभूत संपत्ति को मोचन कराने के लिए उपलब्ध समयावधि तथा उससे संबंधित शर्तों के संबंध में लागू होते हैं।

उधारकर्ता का ध्यान सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो प्रतिभूत संपत्ति को मोचन कराने के लिए उपलब्ध समयावधि तथा उससे संबंधित शर्तों के संबंध में लागू होते हैं।

स्थावर सम्पत्ति का विवरण

संपत्ति के सभी अभिन्न अंग स्थित 628.21 वर्गगज पट्टा नं. 17 ग्राम पंचायत खोरा पंचायत समिति दांतारामगढ, जिला सीकर एवं राज.
संपत्ति स्वामित्व: श्रीमती बिमला देवी पत्नी बंशीधर रैगर

सीमाए:
उत्तर: स्वयं का रास्ता, बाद में कानाराम, कानाराम गोदरा
दक्षिण: भूराराम, रामलाल की भूमि
पूर्व: स्वयं की भूमि
पश्चिम: आम रास्ता

दिनांक: 23.10.2026
स्थान: समस्त राजस्थान

प्राधिकृत अधिकारी रिफार्म एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
(पूर्व में रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के नाम से ज्ञात)

UJJIVAN SMALL FINANCE BANK

• पंजीकृत कार्यालयः- ग्रेप गार्डन, नं. 27 तृतीय 'ए' क्रॉस, 18जी मेन, 6वां ब्लॉक, कोरमंगला, बेंगलुरु-560095
• क्षेत्रीय कार्यालयः- जी एम टी टी बिल्डिंग प्लॉट नं. डी-7, सेक्टर-3, नोएडा (यूपी)-201301

स्वर्ण नीलामी सह बोली आमंत्रण सूचना

नीचे उल्लिखित उधारकर्ता सोना को कई अनुस्मारकों के बावजूद निर्धारित समय के भीतर ऋण चुकाने और गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों को मुक्त करने में विफल रहे हैं।

नीचे सूचीबद्ध उधारकर्ताओं द्वारा गिरवी रखे गए सोने के आभूषण हमारे नीचे वर्णित **शाखा परिसर में 05.12.2026 को सुबह 10:00 बजे से अपॉ. 4:30 बजे** तक सार्वजनिक नीलामी में बेचे जाएंगे। बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। कृपया ध्यान दें कि यदि नीलामी उसी दिन पूरी नहीं होती है, तो अगले दिनों भी उसी नियम व शर्तों पर नीलामी पूरी की जाएगी। यदि ग्राहक की मृत्यु हो गई है, तो नीलामी से संबंधित सभी शर्तें नामांकित व्यक्ति/कानूनी उत्तराधिकारी पर लागू होंगी। उधारकर्ता को नीलामी की तारीख से पहले अद्यतन ब्याज और सहायक खर्चों का भुगतान करने के लिए सूचित किया जाता है, ऐसा न करने पर गिरवी रखे गए सोने के आभूषण बेचे जाएंगे और शेष बकाया यदि कोई हो तो ब्याज और लागत के साथ वसूल किया जाएगा।

क्र. सं.	कर्जदार का नाम	खाता नं.	बैंक की शाखा का नाम	गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों का विवरण	अनुमानित सकल वजन (ग्राम में)	अनुमानित मूल्य (रु.)
1.	चेनू	2227280010000166	2227-किशनगढ़	पेंडेंट	19.55	रु. 1,55,100/-
2.	चेनू	2227280010000413	2227-किशनगढ़	नेकलेस	32.5	रु. 2,77,200/-
3.	श्रवणराम	2232280030000030	2232-जोधपुर	कंठी	59.5	रु. 4,09,200/-
4.	फरीदा	2225280030000028	2225-बूंदी	ईयर रिंग्स, पेंडेंट	57.1	रु. 7,44,480/-
5.	फरीदा	2225280010000078	2225-बूंदी	पेंडेंट	29.12	रु. 3,69,600/-
6.	सीमा	2221280040000013	2221-अजमेर	नाक की रिंग, बोरला	25.81	रु. 1,98,000/-

इच्छुक पक्ष ऊपर बताए गए समय के अनुसार नीलामी तिथि पर अपने पैन कार्ड के साथ-साथ हाल ही में पासपोर्ट आकार की तस्वीर, वैध फोटो पहचान प्रमाण और पता प्रमाण के साथ बैंक के उपर्युक्त शाखा पते पर जा सकते हैं।

अधिक जानकारी और बिक्री की शर्तों के लिए, इच्छुक बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे हमारी बैंक वेबसाइट https://www.ujjivansfb.in/e-auctions पर जाएं और हमारी शाखा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड पर संपर्क कर सकते हैं।

क्रम संख्या 1 और 2 के लिए – शाखा कार्यालयः 2227 – किशनगढ़, प्लॉट नंबर 2, अजमेर रोड, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, पुरोहित ऑटो सर्विस, मदनगंज, किशनगढ़, अजमेर, राजस्थान – 305207। संपर्क व्यक्तिः श्री दिनेश कुमार सैन, मोबाइलः 9785320514

क्रम संख्या 3 के लिए – शाखा कार्यालयः 2232 – जोधपुर, प्लॉट नंबर 47, महादेव टॉवर, उमराव खान पेट्रोल पंप, स्कीम एलआईजी-3, न्यू कोहिनूर सिनेमा, चौपासनी रोड, जोधपुर, राजस्थान – 342003, संपर्क व्यक्तिः श्री दिनेश कुमार सैन, मोबाइलः 9785320514

क्रम संख्या 4 और 5 के लिए – शाखा कार्यालयः 2225 – बूंदी, प्लॉट नंबर 1, न्यू कॉलोनी, सर्किट हाउस के सामने, बूंदी, राजस्थान – 323001 संपर्क व्यक्तिः श्री मोहित लोहोमी, मोबाइलः 7412918800

क्रम संख्या 6 के लिए – शाखा कार्यालयः 2221 – अजमेर, A.M.C No. 32/3(32/3A)369/28, ग्राउंड और पहली मंजिल, मार्टिंडल ब्रिज के पास, ब्यावर रोड, अजमेर, राजस्थान – 305001। संपर्क व्यक्तिः श्री मोहित लोहोमी, मोबाइलः 7412918800

नीलामी बिक्री के नियम और शर्तें:
(1) इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोलियां/कोटेशन निर्धारित प्रपत्र में बंद कवर में अपनी पहचान प्रमाण, पता प्रमाण के साथ प्रस्तुत करना चाहिए।
(2) निर्धारित प्रारूप में न होने वाली बोलियां/कोटेशन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आईडी प्रूफ और पता के साथ बोलियां/कोटेशन उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड की उक्त वर्णित शाखा के पते पर **05.12.2026 को अपॉ. 4:30 बजे तक** जमा किए जाएंगे। बैंक को कोटेशन को अस्वीकार या स्वीकार करने का पूरा अधिकार है।
(3) सीलबंद बोलियां/कोटेशन नीलामी बिक्री प्रक्रिया की अध्यक्षता करने वाले अधिकारी द्वारा उपलब्ध बोलीदाताओं की उपस्थिति में **05.12.2026 को पूर्वा. 10:00 बजे** तक खोले जाएंगे।
(4) बोलियां खोलने के बाद, इच्छुक बोलीदाताओं को नीलामी बिक्री प्रक्रिया की अध्यक्षता करने वाले अधिकारी के विवेक पर, प्रस्ताव मूल्य बढ़ाने के लिए आपस में बोली लगाने का अवसर दिया जा सकता है। वृद्धिशील राशि का निर्णय नीलामी बिक्री प्रक्रिया की अध्यक्षता करने वाले अधिकारी द्वारा किया जाएगा, और उसका निर्णय अंतिम होगा।
(5) भाग लेने वाला बोलीदाता जो सबसे अधिक राशि के लिए बोली लगाएगा, उसे नीलामी बिक्री प्रक्रिया की अध्यक्षता करने वाले अधिकारी द्वारा सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा।
(6) सफल बोलीदाता को नीलामी बिक्री पूरी होने के 3 (तीन) कार्य दिवसों के भीतर नकद (अनुमेय सीमा तक) या मांग ड्राफ्ट के रूप में पूर्ण बिक्री मूल्य (अर्थात, वह मूल्य जिस पर वह सोने के आभूषण की बोली लगाता है) जमा करना होगा। सफल बोलीदाता द्वारा उपरोक्त तरीके से विक्रय मूल्य की राशि जमा करने में चूक होने की स्थिति में, उसके द्वारा अब तक जमा की गई कुल राशि बिना किसी सूचना के जब्त कर ली जाएगी तथा सोने के आभूषणों को बैंक द्वारा उचित समझे जाने वाले किसी अन्य तरीके से पुनः नीलामी या बिक्री के लिए रखा जाएगा। ऐसे मामले में सफल बोलीदाता सोने के आभूषणों या उस राशि के किसी भाग के संबंध में सभी दावों को जब्त कर लेगा जिसके लिए उसे बाद में बेचा जा सकता है।
(7) सफल बोलीदाता को बैंक से पूर्ण विक्रय मूल्य का भुगतान करने के तुरंत बाद उन स्वर्ण आभूषणों को जारी करना होगा, जिनकी बोली उसने अपनी लागत और जिम्मेदारी पर लगाई है। उसे सोने के आभूषण प्राप्त करने के लिए भुगतान किए जाने वाले लागू वैधानिक शुल्क/कर/शुल्क भी वहन करने होंगे। सफल बोलीदाता को बैंक के पक्ष में अपेक्षित पावती पत्र निष्पादित करना होगा।
(8) नीलामी बिक्री प्रक्रिया की अध्यक्षता करने वाले अधिकारी को बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदा/बोली/प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने और/या नीलामी बिक्री को स्थगित/रोकने/रद्द करने और बिना किसी पूर्व सूचना के बिक्री के किसी भी या सभी नियमों और शर्तों को संशोधित करने का पूर्ण अधिकार है।
(9) बिक्री बैंक द्वारा पुष्टि के अधीन है।
(10) सोने के आभूषणों को "जैसा है, जहां है, और "जो भी है" के आधार पर बिक्री के लिए रखा जा रहा है।

अधिक जानकारी के लिए इच्छुक बोलीदाता उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड की उक्त वर्णित शाखा पर संपर्क कर सकते हैं।

स्थानः 26.10.2026 **स्थानः किशनगढ़/जोधपुर/बूंदी/अजमेर** **प्राधिकृत अधिकारी**

JKcement

जे. के. सीमेन्ट लिमिटेड ('कम्पनी')

सीआइएन: L17229UP1994PLC017199
पंजीकृत कार्यालय: कमला टावर, कानपुर-208001, उत्तर प्रदेश, भारत
टेलीफोन: +91 512 2371478/81 | फैक्स: +91 512 2399854
ई-मेल: comp.sec@jkcement.com | वेब: www.jkcement.com

रिमाइंडर-IV

भौतिक प्रतिभूतियों के अंतरण और डीमैटेरियलाइजेशन हेतु विशेष अवधि

यह सूचना दी जाती है कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया (सेबी) ने अपने परिपत्र संख्या HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 दिनांक 30 जनवरी, 2026 (**“सेबी परिपत्र”**) के माध्यम से 5 फरवरी, 2026 से 4 फरवरी, 2027 तक एक वर्ष की अवधि के लिए एक और विशेष विंडो खोली है, जिसके अंतर्गत 1 अप्रैल, 2019 से पूर्व क्रय/विक्रय की गई भौतिक प्रतिभूतियों के अंतरण (ट्रांसफर) तथा डीमैटेरियलाइजेशन (डीमैट) हेतु पुनः प्रस्तुतीकरण (री-लॉजमेंट) किया जा सकेगा।

उक्त विशेष विंडो उन अंतरण अनुरोधों के लिए उपलब्ध होगी, जिन्हें पूर्व में प्रस्तुत किया गया था, परंतु दस्तावेजों/प्रक्रिया में कमी अथवा अन्य कारणों से अस्वीकृत, लौटाया गया या लंबित रह गया था, बशर्ते कि उक्त सेबी परिपत्र में निर्धारित आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए।

इस सुविधा के अंतर्गत अंतरण की गई प्रतिभूतियाँ केवल डीमैट रूप में ही क्रेडिट की जाएंगी तथा अंतरण के पंजीकरण की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक लॉक-इन में रहेंगी। उक्त लॉक-इन अवधि के दौरान इन प्रतिभूतियों का अंतरण, लियन अंकन या गिरवी (प्लेज) नहीं किया जा सकेगा। यह अनुरोध विशेष विंडो के अंतर्गत तभी पात्र होगा जब मूल शेयर प्रमाणपत्र निम्नानुसार प्रस्तुत किए जाएं:

अंतरण विलेख के निष्पादन की तिथि	क्या 01 अप्रैल, 2019 से पूर्व अंतरण हेतु प्रस्तुत किया गया था?	क्या मूल प्रतिभूति प्रमाणपत्र उपलब्ध है?	क्या वर्तमान विशेष अवधि में प्रस्तुत करने हेतु पात्र है?
अप्रैल 01, 2019 से पहले	नहीं (यह नया लॉजमेंट है)	हाँ	✔
अप्रैल 01, 2019 से पहले	हाँ (इसे पहले रिजेक्ट/वापस कर दिया गया था)	हाँ	✔
अप्रैल 01, 2019 से पहले	हाँ	नहीं	✘
अप्रैल 01, 2019 से पहले	नहीं	नहीं	✘

अतिरिक्त रूप से, निम्नलिखित मामलों पर इस विशेष विंडो के अंतर्गत विचार नहीं किया जाएगा:
• अंतरणकर्ता (Transferor) और अंतरणग्राही (Transferee) के बीच विवाद से संबंधित मामले।
• वे प्रतिभूतियाँ जिन्हें निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (IEPF) में स्थानांतरित किया जा चुका है।

जिन शेयरधारकों ने अंतरण विलेख के पुनः प्रस्तुतीकरण (री-लॉजमेंट) की पूर्व समय-सीमा का पालन नहीं किया है, उन्हें इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आवश्यक दस्तावेज कंपनी के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट (RTA) के पास जमा कराने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है:
NSDL Database Management Ltd. (NDML)
यूनिट: J. K. Cement Limited, चौथी मंजिल, टॉवर 3, वन इंटरनेशनल सेंटर, सेनापति बापट मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई - 400 013
ईमेल: investor.ndmlrta@ndml.in, संपर्क नंबर: 022-49142578/2700
वैकल्पिक रूप से, निवेशक सहायता हेतु कंपनी के पंजीकृत कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं।
अधिक विवरण के लिए, निवेशक उपर्युक्त सेबी परिपत्र का संदर्भ ले सकते हैं, जो कंपनी की वेबसाइट https://www.jkcement.com/wp-content/uploads/2026/02/SEBI-circular-special-window-for-transfer-and-dematerialisation-of-physical-securities.pdf?pid=25798 पर उपलब्ध है।

केवाईसी अद्यतन एवं भौतिक शेयरों का डीमैट रूप में परिवर्तन:
जो शेयरधारक भौतिक रूप में इक्विटी शेयर धारण कर रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने केवाईसी विवरण अद्यतन करें तथा अपने भौतिक शेयरों को शीघ्रातिशीघ्र डीमैट रूप में परिवर्तित कराएं। डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ धारण करने से अधिक सुरक्षा मिलती है तथा भौतिक प्रमाणपत्रों से जुड़े जोखिम समाप्त हो जाते हैं।

जे. के. सीमेंट लिमिटेड के लिए
हस्ता/-
भूमिका सूद
कंपनी सेक्रेटरी व नोडल अधिकारी
सदस्यता संख्या : ए 19326

दिनांक : अक्टूबर 24, 2026
स्थान : गुरुग्राम, भारत

सार्वजनिक सूचना
न्यायिक उच्च न्यायालय में बॉम्बे में
साधारण मूल दीवानी अधिकारिता
मध्यस्थता आवेदन संख्या 176 वर्ष 2026
(मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 के अंतर्गत आवेदन)
आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड ...आवेदक
बनाम
ओम गणपति एंटरप्राइजेज ....प्रतिवादी

को,

1. ओम गणपति एंटरप्राइजेज प्रोपराइटरशिप फर्म, ग्राउंड फ्लोर, जी-6, गुरुकृपा कॉम्प्लेक्स, टोंक रोड, सांगानेर, जयपुर राजस्थान, **यहां भी:** प्लॉट नं 4, दीपक कॉलोनी, ए1 श्योपुर रोड आयोजन स्काई अपार्टमेंट के पास प्रतापनगर सांगानेर सांगानेर, जयपुर- 302029.

2. ज्योति वाधवानी
(प्लॉट नं. 4, दीपक कॉलोनी, एएल श्योपुर रोड आयोजन स्काई अपार्टमेंट के पास, प्रतापनगर सांगानेर जयपुर, सांगानेर जयपुर-302029
यहां भी: फ्लैट नं जी1, ग्राउंड फ्लोर, प्लॉट नं 4, नगरियावाला दीपक कॉलोनी, सांगानेर जयपुर-302029

3. पुष्पेंद्र वाधवानी
प्लॉट नं. 4 दीपक कॉलोनी, एएल श्योपुर रोड आयोजन स्काई अपार्टमेंट के पास प्रतापनगर सांगानेर, जयपुर-302029

यहां भी: – फ्लैट नं जी1, ग्राउंड फ्लोर, प्लॉट नं 4, नगरियावाला दीपक कॉलोनी, सांगानेर, जयपुर-302029

जबकि उपर्युक्त नामित आवेदक ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 के अंतर्गत इस न्यायालय के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है और उसे इस न्यायालय में मध्यस्थता आवेदन के रूप में पंजीकृत किया गया है. चूंकि आवेदक द्वारा स्पीड पोस्ट ए.डी. के माध्यम से भेजा गया नोटिस सभी प्रतिवादियों को उपर्युक्त सभी पतों पर डाक विभाग की “निर्देशों के बिना पता छोड़ दिया” की टिप्पणी के साथ तामील नहीं हो सका. इसलिए, माननीय न्यायालय ने **दिनांक 27.08.2026 और तत्पश्चात दिनांक 30.09.2026** के आदेश द्वारा आवेदक को समाचार पत्र में प्रकाशन के माध्यम से प्रतिवादियों पर नोटिस तामील करने का निर्देश दिया।

कृपया ध्यान दें कि मध्यस्थता आवेदन की सुनवाई **दिनांक 28.10.2026 को माननीय न्यायमूर्ति श्री. अमित बोरकर की अध्यक्षता में न्यायालय कक्ष संख्या 9** में होगी. आपसे एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि उक्त दिन माननीय न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हों और यदि आपकी ओर से व्यक्तिगत रूप से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से कोई उपस्थिति दर्ज नहीं की जाती है, तो आवेदन की सुनवाई की जाएगी और आपकी अनुपस्थिति में उस पर निर्णय लिया जाएगा।

दिनांकित इस 27वें दिन अक्टूबर, 2026
भवदीय ,
आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड
आवेदक

UJJIVAN SMALL FINANCE BANK

पंजीकृत कार्यालयः ग्रेप गार्डन, नंबर 27 तीसरा 'ए' क्रॉस, 18वां मेन, 6वां ब्लॉक, कोरमंगला, बेंगलुरु-560095
क्षेत्रीय कार्यालयः- जीएमटीटी बिल्डिंग प्लॉट नंबर डी-7, सेक्टर-3, नोएडा (उ.प्र.)-201301, • शाखा बूंदीः- प्लॉट नंबर 1, न्यू कॉलोनी, सर्किट हाउस के सामने, न्यू कॉलोनी, बूंदी - 323001,
• शाखा जोधपुरः- प्लॉट नंबर 47, महादेव टॉवर, उमराव खान पेट्रोल पंप, स्कीम एलआईजी-3, न्यू कोहिनूर सिनेमा, चोपासनी रोड, बलदेव नगर, जोधपुर, राजस्थान- 342003.
• शाखा सोनखरः-वार्ड नंबर 13, ग्राउंड फ्लोर, सोनखर, अहिंसा सर्कल के पास, सोनखर रोड, खेरली, कठूमर, अलवर, खेरली, अलवर - 321606, • शाखा पालीः- मकान नंबर 151, बापू नगर एक्सटेंशन, सामने पाली सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, कॉलेज रोड, पाली-306401
संपर्क व्यक्तिः- (1) चैन सिंह गोयल, मो.: 9950437507; (2) सौरभ गुप्ता, मो.:8112269452; (3) पवन सैनी, मो.: 8875622756; (4) संजय शन्ना, मो.: 9983365566; (5) अभिमन्यु सिंह राठौड़, मो.: 9056733167

सार्वजनिक नीलामी सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के प्रावधान नियम 8(6) और 9 के साथ पठित, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी अधिनियम) 2002 के अंतर्गत बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना। **उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड** के अधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने सरफैसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से कर्जदार तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि बैंक के बकाया की वसूली के लिए नीचे उल्लेखित खाते में बंधक संपत्ति की सार्वजनिक नीलामी **“जहाँ है जैसा है”** तथा **“जो है वही है”** के आधार पर नीचे निर्धारित तिथि को आयोजित की जाएगी।

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या	कर्जदार/सह- कर्जदार /गारंटर का नाम	दिनांक 13-2 नोटिस एवं मांग राशि	सांकेतिक/ भौतिक कब्जे की तिथि	वर्तमान बकाया राशि	संपत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय	आरक्षित मूल्य रु. में	जमा धरोहर राशि (ईएमडी) भारतीय रुपये में आरक्षित मूल्य का 10%)	ई-नीलामी की तिथि एवं समय	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	ईएमडी जमा करने के लिए खाते का विवरण
1.	223521012000005	(1) फारुख खान पुत्र बाबू खान (2) हिना बानो पत्नी फारूख खान	18.09.2021 रु. 11,27,170/-	19.12.2023 (भौतिक कब्जा)	रु. 17,78,381.24 (तिथि 21.10.2026)	12.11.2026 को 2:00 बजे अप. पूर्व अनुमति लेकर	रु. 5,28,000/-	रु. 52,800/-	17.11.2026 को 11:00 बजे पूर्वा. से 12:00 बजे अप.	16.11.2026 को 04:00 बजे अप. तक	ईएमडी को 'उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक' के पक्ष में बने डिमांड ड्राफ्ट (जो पाली शाखा में देय हो) के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए, या आरटीजीएस/एनईएफटी/आईएमपीएस द्वारा खाता संख्या 22011013462001; आईएफएससी **UJVN0002201** पर भेजा जाना चाहिए।
	आवासीय संपत्ति का वह पूरा हिस्सा, जिसका प्लॉट नंबर 816 (उत्तरी भाग) है और क्षेत्रफल 500 वर्ग फुट है, जो चक नंबर 02, खसरा नंबर 661, 662, 663, न्यू शक्ति नगर, पाली, राजस्थान में स्थित है। इसकी सीमाएं इस प्रकार हैं:- सीमाएं:- पूर्वः प्लॉट नंबर 827; पश्चिमः 20'-0" चौड़ा रास्ता; उत्तरः प्लॉट नंबर-817; दक्षिणः इस प्लॉट का शेष भाग।										
2.	223276300000011	(1) गौतम कुमार पुत्र तारकेश्वर चौरसिया (2) पूनम कुमार पत्नी गौतम कुमार (3) गोविंदा चौरसिया पुत्र तारकेश्वर चौरसिया	23.07.2021 रु. 2,34,611/-	22.11.2023 (भौतिक कब्जा)	रु. 4,65,820.43 (तिथि 21.10.2026)	12.11.2026 को 2:00 बजे अप. पूर्व अनुमति लेकर	रु. 4,50,000/-	रु. 45,000/-	17.11.2026 को 11:00 बजे पूर्वा. से 12:00 बजे अप.	16.11.2026 को 04:00 बजे अप. तक	ईएमडी को 'उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक' के पक्ष में बने डिमांड ड्राफ्ट (जो जोधपुर शाखा में देय हो) के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए, या आरटीजीएस/एनईएफटी/आईएमपीएस द्वारा खाता संख्या 22011013462001; आईएफएससी **UJVN0002201** पर भेजा जाना चाहिए।
	वह पूरी जमीन और इमारत, जिसमें फ्लैट नंबर 74/06 (पहली मंजिल) शामिल है, जिसका क्षेत्रफल 412 वर्ग फुट है। यह प्लॉट नंबर 25, 34, 35, 36, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 और खसरा नंबर 177, 179/2 से 179/13, 59, 59/1, 59/2, 61, 61/1, 61/2, 63, 63/1, 63/2 पर स्थित है। यह गाँव तनवरा और भाकरासनी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर, राजस्थान में है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं:- उत्तरः प्लॉट नंबर 73; दक्षिणः प्लॉट नंबर 75; पूर्वः प्लॉट नंबर 67; पश्चिमः 30 फुट चौड़ा रास्ता।										
3.	223276200000008	(1) श्री मोहम्मद रफीक पुत्र जहूर मोहम्मद (2) श्रीमती मोबिना बानो पत्नी मोहम्मद रफीक	20.07.2021 रु. 6,92,564/-	26.09.2023 (भौतिक कब्जा)	रु. 11,51,794.40 (तिथि 21.10.2026)	12.11.2026 को 2:00 बजे अप. पूर्व अनुमति लेकर	रु. 5,21,000/-	रु. 52,100/-	17.11.2026 को 11:00 बजे पूर्वा. से 12:00 बजे अप.	16.11.2026 को 04:00 बजे अप. तक	ईएमडी को 'उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक' के पक्ष में बने डिमांड ड्राफ्ट (जो जोधपुर शाखा में देय हो) के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए, या आरटीजीएस/एनईएफटी/आईएमपीएस द्वारा खाता संख्या 22011013462001; आईएफएससी **UJVN0002201** पर भेजा जाना चाहिए।
	वह पूरी जमीन और इमारत, जिसमें फ्लैट नंबर ल 77/01 (ग्राउंड फ्लोर) शामिल है, जिसका क्षेत्रफल 395 वर्ग फुट है। यह प्लॉट नंबर 25, 34, 35, 36, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 पर स्थित है। ग्राम तनवरा और भाकरासनी, तहसील लूनी, जिला जोधपुर - राजस्थान में स्थित खसरा नंबर 77, 78, 177, 179/2 से 179/13, 59, 59/1, 59/2, 61, 61/1, 61/2, 63, 63/1, 63/2. इसकी सीमाएं इस प्रकार हैं:- पूर्वः प्लॉट नंबर 64; पश्चिमः 30 फीट चौड़ा रास्ता; उत्तरः प्लॉट नंबर 76; दक्षिणः प्लॉट नंबर 78.										
4.	233725025000040	(1) लवधेश कुमार पुत्र मुकट उर्फ मुकट उर्फ मुकट बिहारी (2) मुकट उर्फ मुकट उर्फ मुकट बिहारी पुत्र भज्जी राम (3) विरमा पत्नी मुकट उर्फ मुकट उर्फ मुकट बिहारी	28.07.2025 रु. 4,78,662/-	26.06.2026 (भौतिक कब्जा)	रु. 8,81,347.13 (तिथि 21.10.2026)	12.11.2026 को 2:00 बजे अप. पूर्व अनुमति लेकर	रु. 22,88,000/-	रु. 2,28,800/-	17.11.2026 को 11:00 बजे पूर्वा. से 12:00 बजे अप.	16.11.2026 को 04:00 बजे अप. तक	ईएमडी को 'उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक' के पक्ष में बने डिमांड ड्राफ्ट (जो सोनखर शाखा में देय हो) के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए, या आरटीजीएस/एनईएफटी/आईएमपीएस द्वारा खाता संख्या 22011013462001; आईएफएससी **UJVN0002201** पर भेजा जाना चाहिए।
	ग्राम चिरावल माली, तहसील नगर, जिला भरतपुर - राजस्थान में खसरा नंबर 79 के अंतर्गत 0.21 हेक्टेयर भूमि में से 3438.225 वर्ग फुट (यानी 382.025 वर्ग गज) की फ्रीहोल्ड आवासीय संपत्ति। इसकी सीमाएं इस प्रकार हैं:- पूर्वः सड़क; पश्चिमः केदार की जमीन; उत्तरः प्रदीप कुमार का घर; दक्षिणः लाला राम का घर।										
5.	222521017000080	(1) श्री सुरेश कुमार बैरवा पुत्र प्रभु लाल बैरवा (2) श्रीमती दुर्गा बाई पत्नी प्रभु लाल बैरवा	15.07.2021 रु. 7,15,323/-	17.12.2022 (भौतिक कब्जा)	रु. 12,14,953.77 (तिथि 25.10.2026)	12.11.2026 को 2:00 बजे अप. पूर्व अनुमति लेकर	रु. 5,13,000/-	रु. 51,300/-	17.11.2026 को 11:00 बजे पूर्वा. से 12:00 बजे अप.	16.11.2026 को 04:00 बजे अप. तक	ईएमडी को 'उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक' के पक्ष में बने डिमांड ड्राफ्ट (जो बूंदी शाखा में देय हो) के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए, या आरटीजीएस/एनईएफटी/आईएमपीएस द्वारा खाता संख्या 22011013462001; आईएफएससी **UJVN0002201** पर भेजा जाना चाहिए।
	ग्राम अजेता, तहसील बूंदी, जिला बूंदी - राजस्थान में स्थित 935 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाली संपत्ति (भूमि और भवन), जो पट्टा नंबर 5409 के अंतर्गत आती है। इसकी सीमाएं इस प्रकार हैं:- पूर्वः आम रास्ता; पश्चिमः लक्ष्मण का घर; उत्तरः नंदलाल का घर; दक्षिणः गणपत का घर।										

नियम एवं शर्तें:-
ई-नीलामी **“जहाँ है जैसे है”** तथा **“जो है वही है”** तथा **“जो कुछ भी है वहीं है”** के आधार पर आयोजित की जा रही है।
1. प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के अनुसार, किसी भी संपत्ति पर कोई भार नहीं है। हालाँकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले भार, नीलामी में रखी गई संपत्ति/संपत्तियों के शीर्षक और संपत्ति पर होने वाले दावों/अधिकारों/बकायों के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए। ई-नीलामी विज्ञापन बैंक की किसी भी प्रतिबद्धता या किसी भी प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करता है और न ही इसे ऐसा माना जाएगा। संपत्ति को सभी मौजूदा और भविष्य के भारों के साथ बेचा जा रहा है, चाहे वे बैंक को ज्ञात हों या अज्ञात। प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत लेनदार किसी भी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/बकायों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
2. बोली लगाने से पहले संपत्ति और विनिर्देश का निरीक्षण करना और खुद को संतुष्ट करना बोलीदाताओं की जिम्मेदारी होगी। नीलामी में रखी गई संपत्ति/संपत्तियों का निरीक्षण इच्छुक बोलीदाताओं को प्रत्येक संपत्ति विवरण के सामने उल्लिखित स्थलों पर करने की अनुमति होगी।
3. इच्छुक बोलीदाता अपनी बोली ऊपर उल्लिखित नीलामी तिथि से पहले प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
4. ई-नीलामी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा अनुमोदित ई-नीलामी सेवा प्रदाता – मैसर्स आर्का ईमार्ट प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से आयोजित की जाएगी। संपर्क व्यक्ति – श्री विकास कुमार (मोबाइल नंबर 7997260999/ई-मेल : **vikas@auctionbazaar.in**)। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे वेबसाइट पर संपत्तियों के विवरण के लिए **https://www.auctionbazaar.com** या **https://www.ujjivansfb.in/e-auctions** पर जाएँ तथा बोली में भाग लेने के लिए उन्हें पोर्टल **https://www.auctionbazaar.com** पर अपना नाम पंजीकृत करना होगा और अपना यूजर-आईडी और पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करना होगा। संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता मेसर्स आर्का ईमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, हेल्पलाइन नंबर – 7997043999 / 8370969696 सपोर्ट ईमेल आईडीः- **eauctions@auctionbazaar.com**, नीलामी पोर्टल – **https://www.auctionbazaar.com** से ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
5. संपत्ति सबसे अधिक बोली लगाने वाले/प्रस्तावित व्यक्ति को बेची जाएगी, बशर्ते कि प्रतिभूत लेनदार, यानी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड द्वारा बोली स्वीकार कर ली जाए। हालाँकि, यदि आवश्यक समझा जाए तो अधोहस्ताक्षरी के पास परस्पर बोली लगाने की अनुमति देने का पूर्ण विवेकाधिकार है। प्राधिकृत अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी प्रस्ताव/निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का विवेकाधिकार है।
6. सफल बोलीदाता की जमा धरोहर राशि (ईएमडी) आंशिक बिक्री प्रतिफल के रूप में रखी जाएगी तथा असफल बोलीदाताओं की ईएमडी वापस कर दी जाएगी। बयाना राशि पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। सफल बोलीदाता को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य स्वीकार किए जाने के 24 घंटे के भीतर बिक्री मूल्य का 25% जमा करना होगा, जिसमें पहले से भुगतान की गई ईएमडी समायोजित की जाएगी तथा बिक्री मूल्य का शेष 75% बिक्री के 15वें दिन या उससे पहले या किसी भी मामले में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित रूप में सहमत 3 महीने से अधिक नहीं, की विस्तारित अवधि के भीतर जमा करना होगा। सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान में चूक की स्थिति में, प्रस्तावी द्वारा पहले से जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी तथा संपत्ति की पुनः नीलामी की जाएगी तथा डिफॉल्टर क्रेता के पास संपत्ति/राशि के संबंध में कोई दावा/अधिकार नहीं होगा।
7. प्रकाशन अप्रत्याशित घटना खंड के अधीन है।
8. बोलीदाताओं को अपने हित में अंतिम क्षण में बोली लगाने से बचना चाहिए क्योंकि न तो उज्जीवन स्माल फाइनेंस बैंक और न ही सेवा प्रदाता किसी चूक/विफलता (इंटीमेट विफलता/बिजली विफलता आदि) के लिए जिम्मेदार होगा, ऐसी आकस्मिक स्थितियों से बचने के लिए बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे सभी आवश्यक व्यवस्थाएं/विकल्प जैसे बिजली आपूर्ति बैक-अप आदि कर लें, ताकि वे ऐसी स्थिति से बच सकें और नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें।
9. यह बंधक संपत्तियों की बिक्री के लिए निर्धारित सार्वजनिक नीलामी अनुसूची के बारे में उपरोक्त नामित कर्जदारो/गारंटरों/बंधककर्ताओं के लिए भी एक सूचना है।

दिनांकः 26.10.2026, स्थानः: राजस्थान — **प्राधिकृत अधिकारी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक**

Rise above the surface

Gain deeper insight into markets and business through expert commentary, analysis, and informed expert opinion in Business Standard. Featuring some of the most respected voices, including *Shyam Saran, A K Bhattacharya, Amita Batra, M S Sriram, K P Krishnan, Rajeshwari Sengupta, Tamal Bandyopadhyay, and more.*

Business Standard
Insight Out